न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 151/2016

सुभाषचन्द पुत्र ठाकरराम जाति गायणा बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. मन्दिर मूर्ति जरिये अध्यक्ष भूपराम पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई निवासी 6 एस.टी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
2. ठाकरराम पुत्र रामलाल जाति गायणा बिश्नोई निवासी मुकलावा —मृतक

2/1 रामी देवी पत्नी ठाकरराम

2/2 ओमप्रकाश

2/3 रामकुमार

2/4 राजेन्द्र कुमार

2/5 विरमादेवी

2/6 सन्तरों देवी

(2/2 से 2/6) पिसरान ठाकरराम

(2/1 से 2/6) जाति गायणा बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3. मोहनलाल
4. जुगलकिशोर
5. बालूराम

(3 से 5) पिसरान ठाकरराम जाति गायणा बिश्नोई निवासी मुकलावा तह0 मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। — रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.कास्त.अधि. 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 19.10.2016

उपस्थिति—

श्री सुभाषचन्द बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री एम.एल.बाना अभिभाषक रेस्पो. 1

श्री अशोक मदान अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 से 5

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 183 का पेश कर कथन किया कि चक 17 टी.के. के मु.नं. 32 प.नं. 161/301 के कि.नं. 9, 10, 14 से 16 की 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अतः उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं 10000/-रूपये प्रतिवर्ष की दर से ठेका राशि दिलवाई जावे।

प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 का विवादित भूमि पर पुश्तैनी कब्जा है। कि.नं.14 में ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण निवास करते हैं। प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी नहीं है। अतः दावा खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने 4 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 19.10.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि ठाकरराम को पुरानी टी.सी. पर आवंटन चली आ रही है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के दावा स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने कथन किया कि विवादित भूमि बिश्नोई मन्दिर की है। अपीलांट का उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को उक्त भूमि कभी भी टी.सी. पर आवंटित नहीं रही है। अधी. न्यायालय ने अपीलांट का विवादित भूमि पर खातेदारी कब्जा काश्त न होकर बतौर अतिक्रमी

कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधी. न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2057 में विवादित भूमि माफी मन्दिर के नाम से दर्ज है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधी. न्यायालय में पेश किया और न ही इस न्यायालय में पेश किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि अपीलांट या अपीलांट के पिता ठाकरराम को टी.सी. पर आवंटित हुई हो। अधी. न्यायालय ने दावा एवं जबाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर, उन पर दोनों पक्षों की साक्ष्य संग्रहित कर तनकियात का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए वादी का वाद स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर